न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—59/2022 दायर दिनांक:—14.09.2022

जीसीएमएस नं.2022/599

भरतलाल पुत्र नन्दराम जाति मीना आयु 65 साल निवासी कालाखाना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0 ————प्राथी

बनाम

1. मगन पुत्र सोहन लाल आयु 46 साल
2. प्रभु पुत्र गंगाधर आयु 70 साल
3. सुआ लाल पुत्र श्रीफुल आयु 55 साल
4. हरसी पुत्र मोहनराम आयु 40 साल

} जाति मीना निवासी कालाखाना तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

5. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बावत् पत्थर गढी व सीमाज्ञान
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित —1.श्री शांतिस्वरूप शुक्ला प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार अप्रार्थी न0 5
3.अप्रार्थी न0 1 ता 4 की एकपक्षीय कार्यवाही

निर्णय

दिनांक

प्राथीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 128 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजीयात खसरा न0 1159/1188 रकबा 1.15 है0, 546 रकबा 26 ऐयर, 46 रकबा 26 ऐयर जाब द्वितीय, 547 रकबा 13 ऐयर, 547 रकबा 13 ऐयर, जाब द्वितीय, कुल किता 3 कुल रकबा 1.54 है0 स्थित ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन में स्थित है। जिसके वादी खातेदार काश्तकार है।

आराजी खसरा न0 1159/1188 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन के पडोसी में दीगर खातेदार प्रतिवादीगण न0 1 व 3 व 4 है, तथा प्रतिवादी स0 2 खसरा न0 788 जो चारागाह भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर वादी के खातेदारी की भूमि खसरा न0 1159/1188 पर डोल मैड को तोडते है एवम हमेशा कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। तथा वादी की उक्त आराजी में अतिक्रमण कर कब्जा करने की फिराक में है, प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आयेंगे जब तक उक्त आराजी खसरा न0 1159/1188 की सीमाज्ञान व पत्थरगढी नहीं की जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादकरण वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 04.09.2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने वादी की डौल मैड तोडकर जबरन अपने खेत में मिलाना चाहा, वादी द्वारा बार बार मना करने पर प्रतिवादीगण सम्पूर्ण डौल को अपनी होना बताते है जबकि उक्त डौल वादी की है, क्योंकि उक्त डौलवादी ने अपने खेत में होकर डाली थी लेकिन प्रतिवादीगण करीब 10 फिट के लगभग जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, एवम वादी की आराजी में डौल बनाने का प्रयास किया। प्रतिवादीगण ने वादी को ऐलानिया धमकी दी कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते हम धीरे धीरे तुम्हारी आधी जगीन पर कब्जा कर लेंगे। इसलिये यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ।

प्रतिवादीगण अपनी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आयेंगे जब तक वादीगण की आराजीयात की आराजी ख0 न0 1159/1188 का सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थरगढी नहीं करवायी जावेगी।

इस्तदुआ दादरसी वहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न लिखिल निवेदन किया है:—

तहसीलदार तहसील हिण्डौन को आदेश दिया जावे कि आराजीयात खसरा न0 1159/1188 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 का विधि अनुसार सीमाज्ञान कराया जाकर वादी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करायी जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तबल किया गया। अप्राथी न0 1 ता 4 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आदेशिका दिनांक 10.06.2024 को अप्रार्थी 1 ता 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी न0 5 पैरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की आरे से नायब तहसीलदार उपतहसील कटकड द्वारा पत्रांक 532 दिनांक 29.07.2024 जबाब पेश किया गया । जो निम्नानुसार है:—

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न0 4 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।
5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 कानूनी है।
6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 कानूनी है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:26 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा न0 1159/1188 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने के कारण अपनी खातेदारी की भूमि का

Scanned with OKEN Scanner

सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने के लिये स्वतंत्र है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही है।

उक्त जबाब शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 खाता संख्या 134, ऑनलाइन नक्शा ट्रैस पेश किये है।

उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अवगत कराया है कि तहसीलदार तहसील हिण्डौन को आदेश दिया जावे कि आराजीयात खसरा न0 1159/1188 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0 का विधि अनुसार सीमाज्ञान कराया जाकर वादी की उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करायी जाने का निवेदन किया एवं पैरोकार सरकार द्वारा अपने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आराजी खसरा न0 1159/1188 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन का प्रार्थी खातेदार काश्तकार होने के कारण अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी कराने के लिये स्वतंत्र है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी कराने से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है।

उभयपक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 खाता संख्या 134, ऑनलाइन नक्शा ट्रैस में भरतलाल पुत्र नम्दराम जाति मीना सा.ग्राम खातेदार वाके ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं नायब तहसीलदार उपतहसील कटकड की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1159/1188 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन का सीमाज्ञान करते हुए पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:26 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ... अधिनियम की धारा 128 के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आप मौके पर पहुँचकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 1159/1188 रकबा 1.15 है0 वाके ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन का मौके पर सीमाज्ञान करवाते हुए

Scanned with OKEN Scanner

पत्थरगढी करावें, सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की कार्यवाही करने से पूर्व तारीख एवं समय निश्चित करते हुए खातेदार को मौके पर उपस्थित रहने हेतु नोटिस जारी करें एवं प्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की नियमानुसार फीस तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ 7 दिवस में जमा करावें। पालना रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डौन 15 दिवस में इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 5/11/24
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:17:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner